National Journal of Multidisciplinary Research and Development
www.multidisciplinaryjournal.org
ISSN: 2455-9040
Received: 20-04-2024, Accepted: 12-05-2024, Published: 08-06-2024
Volume 9, Issue 2, 2024, Page No. 46-49

बालिकाओं की उच्च शिक्षा के प्रति अभिभावकों की अभिवृत्ति का अध्ययन

महेन्द्र सिंह[1], अवधेश कुमार[2]
[1] शोध छात्र, शिक्षक शिक्षा विभाग, नेहरु ग्राम भारती, मानित विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत
[2] असिस्टेंट, प्रोफेसर, शिक्षक शिक्षा विभाग, नेहरु ग्राम भारती, मानित विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश
किसी भी राष्ट्र के सांस्कृतिक विकास, उसके संरक्षण एवं संवर्द्धन में बालिका शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षित बालिकाएँ अपने अधिकारों को जान व समझ कर उनका लाभ उठा सकती हैं एवं अपने विविध कर्तव्यों का सम्यक् ढंग से निर्वहन कर सकती हैं। इसमें भी उच्च शिक्षा प्राप्त बालिकाएं समाज व राष्ट्र की दशा एवं दिशा बदलने में सहायक होती हैं । प्रस्तुत शोध में अधिकतर अभिभावक बालिकाओं को उच्च शिक्षा देने के पक्ष में हैं। अधिकतर अभिभावकों का विचार है कि उनकी बालिकाएं उच्च शिक्षा ग्रहण कर तथा आत्मनिर्भर बनके अपना भावी जीवन सुखमय बिताएंगी व उनका भी आर्थिक रूप से सहयोग करेंगीं। इसलिए ज्यादातर अभिभावक अपनी बालिकाओं की उच्च शिक्षा को लेकर काफी जागरूक हैं।
बालिकाओं की शिक्षा को प्रभावित करने में परिवार की आर्थिक स्थिति की भूमिका मुख्य है। शिक्षा के मूल उपकरण जैसे कापी–किताब, पत्र–पत्रिकाएँ, लेखन सामग्री, भोजन, स्वास्थ्य की देखभाल, स्कूली परिधान, शुल्क, परिवहन सुविधा, कठिन विषयों हेतु कोचिंग की व्यवस्था आदि आवश्यकताओं को पूरा करने में परिवार की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का प्रभाव पड़ता है। कुछ अभिभावक अपनी आर्थिक तंगी के कारण बालिकाओं को शिक्षा दिलाने से अधिक उपयेागी जीविकोपार्जन हेतु उनसे अर्थोपयोगी कार्य को ही कराना उचित समझते हैं। कुछ अभिभावक किसी प्रकार शिक्षा दिलाते भी हैं तो अपनी आर्थिक विवशता के कारण शुल्क व अन्य सुविधा समय से नहीं उपलब्ध करा पाते हैं। ऐसी स्थिति में बालिकाओं में हीन भावना उत्पन्न हो जाती है जिसका प्रभाव बालिका के मस्तिष्क व शिक्षा पर पड़ता है।
घरेलू कार्यों में व्यस्त होने के कारण अध्ययन हेतु पर्याप्त समय न मिल पाने की समस्या भी बालिकाओं की शिक्षा को प्रभावित करती है। परिवार के सदस्य प्रायः घर–गृहस्थी सम्बन्धी कार्य जैसे – खाना पकाना, घर की सफाई, कढ़ाई–बुनाई, छोटे भाई–बहनों की देख–रेख, अतिथि स्वागत आदि कार्यों को अधिक प्राथमिकता देते हैं। प्रायः बालिकाएँ उपरोक्त जिम्मेमदारियों का निर्वहन करने के पश्चात् अध्ययन हेतु पर्याप्त समय नहीं निकाल पातीं। कई बार उन्हें पढ़ाई बीच में ही छोड़ देनी पड़ती है। अब समय आ गया है कि बालिकाओं की शिक्षा के प्रति अभिभावकों में निहित नकारात्मक सोच को बदलना होगा तथा बालकों के साथ–साथ बालिकाओं की उच्च शिक्षा का भी उचित प्रबंध करना होगा तभी समाज एवं राष्ट्र का विकास संभव हो सकेगा।

मूल शब्दः बालिका, उच्च शिक्षा, अभिभावक, अभिवृत्ति, मध्यमान, मानक विचलन, सी–आर परीक्षण इत्यादि

देश का विकास उसके सुशिक्षित नागरिकों पर निर्भर करता है और नागरिकों का विकास परिवार पर निर्भर करता है एवं परिवार का विकास उसमे निवास करने वाली बालिकाओं पर निर्भर करता है। अतः राष्ट्र के सांस्कृतिक विकास, उसके संरक्षण एवं संवर्द्धन में बालिका–शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। डॉ. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित आयोग ने बालिका शिक्षा के महत्व और आवश्यकता पर पर्याप्त बल दिया है। उनके अनुसार ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि उनको उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्राप्त हो ताकि वे अच्छी माता और अच्छी गृहणी बन सके। बालिका विकास का सर्वाधिक सरल, प्रभावी व सहज तरीका उनकी शिक्षा में सुधार लाना है। शिक्षित बालिकाएँ अपने अधिकारों को जान व समझ कर उनका लाभ उठा सकती हैं एवं अपने विविध कर्तव्यों का सम्यक् ढंग से निर्वहन कर सकती हैं। उच्च शिक्षा बालिका विकास के सभी आयामों, यथा–पारिवारिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक मजबूती का आधार है, जिसके द्वारा उन्हें क्रियाशील, विवेकशील तथा प्रभावशील बनाना सम्भव हो सकता है। उनके विकास में उच्च शिक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान करती है। बालिकायें जिन्हें आधी आबादी भी कहा जाता है, यदि उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता है तो समग्र राष्ट्रीय विकास की कल्पना करना भी बेमानी हो जाता है। बालिकायें ही कालान्तर में महिलाओं की भूमिका निभाती है। इनकी भी राष्ट्रीय उत्थान में साझेदारी अदा करने की आकांक्षा होती है। अगर राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की सशक्त उल्लेखनीय भागीदारी के स्वप्न को साकार बनाना है तो बालिकाओं की उच्च शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करना ही होगा।
बच्चों का भविष्य निर्माण अर्थात् सर्वांगीण विकास नारी की शिक्षा द्वारा ही होता है क्योंकि शिक्षित नारी सुसभ्य, सुसंस्कृत परिवार व समाज के निर्माण में अपनी क्षमता के अनुसार अधिक से अधिक योगदान कर सकती है। परिवार के अतिरिक्त शिक्षा, चिकित्सा, आर्थिक कार्यों, राजनीति, सुरक्षा आदि सभी क्षेत्रों में वे सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं। आत्मनिर्भर और जागरूक महिलाएँ सामाजिक परिवर्तन का मूल्यवान एवं सशक्त माध्यम बन सकती है। वह समाज, सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा आदि तमाम क्षेत्रों में बढ़कर योगदान कर सकती हैं। हिंसा मुक्त अहिंसक दुनिया की संरचना कर सकती हैं। एक ऐसी मानवता निर्मित कर सकती हैं जो प्रेम, सहयोग, करूणा, और सहिष्णुता आदि सद्गुणों पर आधारित हो। ऐसा तभी हो सकता है जब स्त्री मजबूत एवं शिक्षित हो। एक स्वस्थ्य और शिक्षित महिला राष्ट्र के लिये सम्पदा होती है। महिलाओं के साथ एक सकारात्मक बात यह है कि अगर किसी बालिका को शिक्षित किया जाता है तो इससे पूरे परिवार में शिक्षा की लौ जल उठती है। इस सच्चाई के बावजूद महिलाएँ शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी हासिए पर ही हैं। अगर समाज को समग्र रूप से तरक्की करनी है तो महिलाओं को समानता के आधार पर शिक्षा मुहैया करानी होगी तथा अभिभावकों को भी इनकी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में सकारात्मक बदलाव लाना होगा।

शोध के अध्ययन की आवश्यकता

शिक्षा जीवन जीने का एक अनिवार्य हिस्सा है चाहे वह बालक हो या बालिका बालिकाओं अथवा महिलाओं के अधिकारों की रक्षा में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकने में मदद करती है। शिक्षा महिलाओं का जीवन के मार्ग को चुनने का अधिकार देने का पहला कदम है जिस पर वह आगे बढ़ती है। बालिकाओं की शिक्षा के कई लाभ है। एक सुशिक्षित बालिका परिवार समाज व राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। एक शिक्षित बालिका विभिन्न क्षेत्रों में पुरुषों के काम और बोझ को साझा कर सकती है ।विद्वानों का भी कहना है कि एक पुरुष को शिक्षित करके हम केवल एक व्यक्ति को शिक्षित कर सकते है। जबकि हम एक महिला को शिक्षित करके हम पूरे परिवार को शिक्षित कर सकते है इस प्रकार समाज के प्रत्येक अभिभावक को परिवार, समाज व राष्ट्र के विकास के लिए बालिकाओं की प्रारंभिक शिक्षा के साथ साथ उच्च शिक्षा के प्रति ध्यान विशेष दे तथा बालिका शिक्षा के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति व दृष्टिकोण रखे। प्रस्तुत शोध में शोधकर्ता ने बालिकाओं की उच्च शिक्षा में भागीदारी से समाज व राष्ट्र के उत्थान के दृष्टिगत अभिभावकों का बालिका शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति को जानने का प्रयास किया है क्योंकि शोधकर्ता का मानना है कि बालिकाओं की उच्च शिक्षा की अनदेखी करके हम अपना चहुंमुखी विकास नहीं कर सकते हैं।

सम्बन्धित साहित्य का पुनरावलोकन

सम्बन्धित साहित्य से तात्पर्य अनुसंधान की समस्या से सम्बन्धित उन सभी प्रकार की पुस्तकों, ज्ञान–कोषों, पत्र–पत्रिकाओं, प्रकाशित तथा अप्रकाशित शोध–प्रबन्धों एवं अभिलेखों आदि से है, जिनके अध्ययन से अनुसंधानकर्ता को अपनी समस्या के चयन, परिकल्पनाओं के निर्माण, अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने एवं कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है।

किसी भी विषय के विकास में किसी विशेष शोध प्रारूप का स्थान बनाने के लिए शोधकर्ता को पूर्व सिद्धान्तों एवं शोधों से भली–भाँति अवगत होना चाहिए। इस जानकारी को निश्चित करने के लिए व्यवहारिक ज्ञान में प्रत्येक शोध प्रारूप की प्रारम्भिक अवस्था में इसके सैद्धान्तिक एवं शोधित साहित्य की समीक्षा करनी होती है, यहाँ साहित्य समीक्षा का अर्थ दिया गया।

आनन्द और यादव (2006) ने श्द इनक्लूजन ऑफ एस०सी० गर्ल्स इन एजूकेशन ए लॉग पाथ अहेडश् में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं की शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन किया। जिनमें पारिवारिक सामाजिक एवं आर्थिक समस्यायें प्रमुख थीं। उन्होनें अध्ययन में पाया कि बालिकाओं में अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या का मुख्य कारण उनके अभिभावकों में शिक्षा का अभाव एवं बालिका शिक्षा के प्रति अनुचित दृष्टिकोण है।

शर्मिला एवं धास (2010) ने श्डेवेलपमेन्ट ऑफ वूमेन ऐजूकेशन इन इण्डिया के शोध आलेख मे महिलाओं के विकासक्रमश् का अध्ययन किया। अध्ययन में पाया कि महिलायें देश की आधी आबादी हैं और शिक्षा ही वह उत्तम मार्ग है जो महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण और आर्थिक स्थिति को सुदृण बना सकता है। जिसमें महिलायें। स्वयं जागरुक बनें साथ ही सरकार और विभिन्न संस्थाओं को महिलाओं की शैक्षिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने का प्रयास करना होगा।

हजारिका, हिमाद्री एवं देवी रुनुश्री (2011) ने 'उच्च माध्यमिक स्तर के दरांग डिस्ट्रिक के सिपाझार ब्लॉक के बालिकाओं की शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन किया। जिसमें पाया कि बालिकाओं की शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों में आर्थिक पिछड़ापन, अशिक्षा और उपेक्षा प्रमुख है। बालिकायें गृहकार्य में संलग्न हैं। 20 प्रतिशत परिवार बालिकाओं पर धन खर्च करने में अक्षम हैं। अभिभावकों की शिक्षा एवं निर्देशन का अभाव बालिका शिक्षा के विकास को प्रभावित करती है।

एनीजॉन और शिंदे (2012) ने 'भारत में मुस्लिम महिलाओं की शैक्षिक स्थिति के सन्दर्भ में अवलोकन करते हुये लिखा है कि इनका शिक्षा के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। 2001 में मुस्लिम महिलाओं का शैक्षिक स्तर राष्ट्रीय स्तर से बहुत ही निम्न था जिसमें शिक्षा ने आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करनें में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। भारतीय समाज में मुस्लिम बालिकाओं की शिक्षा का स्तर बहुत ही कम है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 (1) समानता का अधिकार यह कहता है कि चाहे वह बालक हो या बालिका सभी को शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार है।

भण्डारी (2014) ने अपने शोधपत्र 'भारत में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति का विश्लेषण' में स्पष्ट किया करते हुये कहा कि शिक्षा ही वह महत्वपूर्ण उपकरण है जिससे समाज में महिलाओं की प्रत्येक दशा में परिवर्तन लाया जा सकता है जो कि सशक्तिकरण का एक सशक्त माध्यम भी है। भारत में सरकार द्वारा विभिन्न नीतियों एवं कार्यक्रमों का संचालन बालिकाओं की शिक्षा के लिये चलाया जा रहा है परन्तु फिर भी निरक्षर महिलाओं की जनसंख्या भारत में अभी भी अधिक है।

एम०डी० प्रदीप और वी0 के0 रवीन्द्र (2017) ने अपने अध्ययन – "जेण्डर सेन्सटिव वूमेन एजूकेशन इन हायर एजूकेशन में स्पष्ट करते हुये कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में भारत की कुछ प्रमुख संस्थायें जैसे यू०जी०सी०, एन०सी०ई०आर०टी०, आदि ने भारत में महिला शिक्षा को नियमित किया है। यू०जी०सी० की वूमेन स्टडी सेण्टर महिलाओं की शिक्षा, उनके स्तर एवं समस्याओं के विषय में अपनी चिन्ता प्रकट करते हुये कहा है कि महिलाओं की निरक्षरता ने उन्हें पराश्रित और प्रत्येक क्षेत्र से वंचित किया है। आज महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक विकास के लिये महिला शिक्षा की विशेष आवश्यकता है।

शोध अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध निम्न उद्देश्य के अनुसार सम्पादित किया गया है

1. बालिकाओं की उच्च शिक्षा के प्रति महिला एवं पुरुष अभिभावकों की अभिवृत्ति का अध्ययन करना ।
2. बालिकाओं की उच्च शिक्षा के प्रति ग्रामीण एवं शहरी अभिभावकों की अभिवृत्ति का अध्ययन करना।

शोध अध्ययन की परिकल्पना

शोध अध्ययन में निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति हेतु निम्नलिखित परिकल्पना बनाई गई हैं

1. बालिकाओं की उच्च शिक्षा के प्रति महिला एवं पुरुष अभिभावकों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
2. बालिकाओं की उच्च शिक्षा के प्रति ग्रामीण एवं शहरी अभिभावकों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

शोध विधि – प्रस्तुत अध्ययन में प्रयोगात्मक शोध की सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

जनसंख्या – जनसंख्या का तात्पर्य सम्पूर्ण इकाईयों के निरीक्षण से होता है। इसमें कुछ इकाईयों का चयन करके न्यादर्श बनाया जाता है। प्रयागराज जनपद के 100 शहरी व 100 ग्रामीण अभिभावकों तथा 100 पुरुष व 100 महिला अभिभावकों को न्यादर्श के रूप में चुना गया है।

न्यादर्शन – जनसंख्या (इकाई, वस्तुओं या मनुष्यों का समूह) में किसी चर का विशिष्ट मान ज्ञात करने के लिए उसकी कुछेक इकाइयों को चुन लिया जाता है तो इस चुनने की क्रिया को

न्यादर्शन कहते हैं, तथा चुनी हुई इकाइयों के समूह को न्यादर्श कहते हैं। प्रस्तुत अध्ययन में संभाव्यता न्यादर्शन के आधार पर आकड़ों को लिया गया है ।

शोध उपकरण

बालिका शिक्षा से सम्बंधित अभिभावक अभिवृत्ति मापनी

प्रस्तुत शोध में बालिकाओं की उच्च शिक्षा के प्रति अभिभावकों की अभिवृत्ति को मापने के लिए शोधकर्ता द्वारा अभिभावक–अभिवृत्ति मापनी का प्रयोग किया गया है। इस मापनी में बालिकाओं की उच्च शिक्षा में बाधक विभिन्न कारकों पर कुल 40 कथनों का निर्माण किया गया है जिन पर अभिभावकों की प्रतिक्रिया को जानना है। इन कथनों का मूल्यांकन पंच बिंदु प्रणाली पर किया गया है।

अंकन विधि

कथन	पूर्णतः सहमत	सहमत	अनिश्चित	असहमत	पूर्णतः असहमत
धनात्मक	5	4	3	2	1
ऋणात्मक	1	2	3	4	5

शोध से प्राप्त परिणामों का सारणीबद्ध व उनकी व्याख्या अग्रवत है–

परिकल्पना 1: बालिकाओं की उच्च शिक्षा के प्रति महिला एवं पुरुष अभिभावकों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

अभिभावक	संख्या	माध्य	मानक विचलन	स्वतंत्रता मान	सी–आर मान	निष्कर्ष	
						0.05 स्तर	0.01 स्तर
महिला	100	171.09	12.02	198	0.937	सार्थक अन्तर नहीं है।	सार्थक अन्तर नहीं है।
पुरुष	100	169.45	11.82				

तालिका संख्या 1 में बालिकाओं की उच्च शिक्षा के प्रति महिला एवं पुरुष अभिभावकों की अभिवृत्ति का विवरण प्रस्तुत किया गया है। तालिका के अनुसार प्रथम समूह महिला अभिभावकों का है जिसका मध्यमान 171.09 तथा मानक विचलन 12.02 है, जबकि दूसरा समूह पुरुष अभिभावकों का है जिसका मध्यमान 169. 45तथा मानक विचलन 11.82 है। इन समूहों के चरों के मध्यमानो की सार्थकता ज्ञात करने के लिए टी–अनुपात परीक्षण का प्रयोग किया गया जिसके आधार पर क्रांतिक अनुपात की गणना की गई जिसका मान 0.937 प्राप्त हुआ जो 0.05 सार्थकता स्तर के मान 1.96 तथा 0.01 सार्थकता स्तर के मान 2.58 से कम है। अतः निष्कर्ष रुप में हम यह कह सकते हैं कि दोनों समूहों की बालिकाओं की उच्च शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है। इस प्रकार शोधकर्ता की परिकल्पना संख्या 1 स्वीकार की जाती है तथा प्राप्त परिणाम को भी स्वीकार किया जाता है।

परिकल्पना 2: बालिकाओं की उच्च शिक्षा के प्रति ग्रामीण एवं शहरी अभिभावकों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

तालिका 2: बालिकाओं की उच्च शिक्षा के प्रति ग्रामीण एवं शहरी अभिभावकों की अभिवृत्ति का विवरणः

अभिभावक	संख्या	माध्य	मानक विचलन	स्वतंत्रता मान	सी–आर मान	निष्कर्ष	
						0.05 स्तर	0.01 स्तर
शहरी	100	169.70	11.766	198	0.675	सार्थक अन्तर नहीं हैं।	सार्थक अन्तर नहीं हैं।
ग्रामीण	100	170.84	12.105				

तालिका संख्या 2 में बालिकाओं की उच्च शिक्षा के प्रति शहरी एवं ग्रामीण अभिभावकों की अभिवृत्ति का विवरण प्रस्तुत किया गया है। तालिका के अनुसार प्रथम समूह शहरी अभिभावकों का है जिसका मध्यमान 169.70 तथा मानक विचलन 11.766 है, जबकि दूसरा समूह ग्रामीण अभिभावकों का है जिसका मध्यमान 170.84 तथा मानक विचलन 12.105 है । इन समूहों के चरों के मध्यमानो की सार्थकता ज्ञात करने के लिए टी–अनुपात परीक्षण का प्रयोग किया गया जिसके आधार पर क्रांतिक अनुपात की गणना की गई जिसका मान 0.675 प्राप्त हुआ है जो 0.05 सार्थकता स्तर के मान 1.96 से अधिक तथा 0.01 सार्थकता स्तर के मान 2.58 से कम है। अतः निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि बालिकाओं की उच्च शिक्षा के प्रति शहरी एवं ग्रामीण अभिभावकों की अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है। इस प्रकार शोधकर्ता की परिकल्पना संख्या 2 स्वीकार की जाती है तथा प्राप्त परिणाम को भी स्वीकार किया जाता है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध में शोधकर्ता ने बालिकाओं की उच्च शिक्षा के प्रति महिला एवं पुरुष अभिभावकों की बालिका शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति ज्ञात करने का प्रयास किया है। आंकड़ों के विश्लेषण एवं व्याख्या करने के पश्चात पता चलता है कि शोधकर्ता द्वारा निर्मित परिकल्पना संख्या 1 में महिला एवं पुरुष अभिभावकों का बालिकाओं की उच्च शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है अर्थात महिला एवं पुरुष अभिभावकों की बालिकाओं की उच्च शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति एक समान होती है। प्राप्त निष्कर्ष के अनुसार महिला एवं पुरुष अभिभावकों का बालिकाओं की उच्च शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई अंतर नहीं पाया गया हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि शिक्षा के विकास ने महिला एवं पुरुष अभिभावकों की लिंग समानता के प्रति सोच को बदल दिया है। आज महिलाएं जितना बालिका शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति रहती हैं उतना ही पुरुष भी रखता है। शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे सभी महिला एवं पुरुषों के विचारों में प्राचीन कुरीतियों एवं रूढ़ियों के विपरीत नवीन विचार एवं तर्क का विकास संभव हो पाया है। शहर हो या गांव, महिला हो या पुरुष आज सभी स्वयं को एवं समाज को विकसित करने की दृष्टि से सक्रिय हैं। विज्ञान एवं तकनीकी के विकास ने महिलाओं को भी पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया है। आज कोई भी व्यक्ति तकनीकी के माध्यम से विभिन्न प्रकार के शिक्षा एवं सूचनाओं को प्राप्त करने में सफल है। तकनीकी के विकास ने चलचित्र के माध्यम से शहर–शहर एवं गांव–गांव सभी महिला एवं पुरुषों को बालिका शिक्षा के प्रति जागरुक करने का काम किया है। बालिकाओं की उच्च शिक्षा के प्रति राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है जिसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की उच्च शिक्षा की व्यवस्था के साथ–साथ अभिभावकों को भी जागरूक करना है। उपरोक्त कारणों से ही वर्तमान समय में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के सभी महिला एवं पुरुष अभिभावकों का बालिकाओं की उच्च शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति समान पायी गयी है।

प्रस्तुत शोध में शोधकर्ता ने शहरी एवं ग्रामीण अभिभावकों की बालिकाओं की उच्च शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति ज्ञात करने का प्रयास किया है। आंकड़ों के विश्लेषण एवं व्याख्या करने के पश्चात पता चलता है कि शोधकर्ता द्वारा निर्मित परिकल्पना संख्या 2 में शहरी एवं ग्रामीण अभिभावकों का बालिकाओं की उच्च शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में भी सार्थक अन्तर नहीं है इसका कारण यह हो सकता है कि आज सभी व्यक्ति शिक्षा के अर्थ एवं महत्व को समझते हैं चाहे वह महिला हो या पुरुष अथवा अभिभावक चाहे ग्रामीण क्षेत्र का हो या शहरी सभी अपनी बालिकाओं की उच्च शिक्षा के प्रति एक समान सोच रखते हैं।उनका मानना है कि एक शिक्षित परिवार एवं समाज बनाने के लिए बालिकाओं का शिक्षित होना आवश्यक है इसलिए महिला

एवं पुरुष सभी अभिभावक बालिकाओं की शिक्षा के प्रति एक समान अभिवृत्ति रखते हैं।प्रस्तुत शोध के निष्कर्षों से भी यही परिणाम प्राप्त होता है।

शोध की उपयोगिता

वर्तमान शोध से प्राप्त निष्कर्ष अभिभावकों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा क्योंकि आज भी हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं जो अपनी बालिकाओं को शिक्षित नहीं करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि बालिकाएं पढ़–लिखकर क्या करेंगी, बालिकाओं को तो केवल घर का ही काम संभालना है जिसके लिए पढ़ाई की कोई आवश्यकता नहीं है परंतु इन अभिभावकों को इस बात से अवगत कराना अति आवश्यक है कि बालिकाएं केवल घर का कामकाज करने के लिए नहीं है। यदि इन्हें ठीक ढंग से पढ़ा–लिखा दिया जाए तो बालिकाएं किसी भी क्षेत्र में अच्छा कार्य करने में सक्षम हो सकती है। शिक्षा केवल नौकरी के लिए ही आवश्यक नहीं है बल्कि एक व्यक्ति को अपना जीवन सम्मानपूर्ण तरीके से जीने के लिए भी शिक्षा की आवश्यकता होती है। शिक्षा बालिकाओं को अपने हक की लड़ाई लड़ने का अवसर प्रदान करती है तथा अपने जीवन की प्रत्येक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हिम्मत प्रदान करती है। शिक्षा के इस महत्व को सभी अभिभावकों तक पहुंचाना शिक्षित व्यक्तियों एवं समाज सेवकों का कर्तव्य है जिससे कि सभी अभिभावक अपनी बालिकाओं की उच्च शिक्षा के प्रति जागरूक हो सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. शर्मा, आर0ए0 (2008): भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास, आर0 लाल बुक डिपो, मेरठ।
2. भटनागर, डॉ0 ए0बी0 (2008): अधिगम एवं शिक्षण, आर0 लाल बुक डिपो, मेरठ।
3. अग्रवाल, डॉ0 नीता (2008): बाल विकास, अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा।
4. नागर, डॉ0 बीनू एवं राजपूत, डॉ0 आशा (2010): बाल विकास आगरा पब्लिकेशन, आगरा।
5. जायसवाल, सीताराम (2012): व्यक्तित्व का मनोविज्ञान, श्री विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।
6. श्रीवास्तव, डी0एन0 एवं पाठक, के0पी0 (2012): बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान, आगरा पब्लिकेशन, आगरा।
7. श्रीवास्तव, महेन्द्र नाथ एवं कुमार सतीश (2014): बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा।
8. श्रीवास्तव, डॉ0 डी0एन0 (2020): अनुसंधान विधियां, साहित्य प्रकाशन, आगरा।
9. गुप्ता, प्रो0 एस0 पी0 एवं गुप्ता, डॉ0 अलका, (2013): सांख्यिकीय विधियाँ, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
10. राय, पारस नाथ (2008): अनुसंधान परिचय, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा।
11. सिंह, अरूण कुमार (2017): मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियाँ, मोतीलाल बनारसीदास, बनारस।
12. त्रिपाठी, मधुसूदन (2006): बालिका शिक्षा, विद्यावती प्रकाशन, नई दिल्ली।
13. अग्रवाल, जे०सी० (2010): भारत में नारी शिक्षा, विद्या विहार प्रकाशन, नई दिल्ली।
14. Pradeep DM, Ravindra BK. Review on the Gender Sensitive Women Education-Legal Revolution in Higher Education (June 30, 2017). International Journal of Management, Technology, and Social Sciences (IJMTS), (ISSN: Applied),2017:2(1):53-65.
15. Shodhganga.inflibnet.ac.in/chapter2review of the related literature.